

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 09/2024-State Tax (Rate)

Dated: 22/10/2025

No. F.3 (02)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I 344 .- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the Government's Notification No. 13/2017- State Tax (Rate), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (15)/Fin(Rcv-I)/2017-18/DS-VI/379, dated 30th June, 2017, namely:-

1. In the said notification, in the Table, after serial number 5AA and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"5AB	Service by way of renting of any immovable property other than residential dwelling.	Any unregistered person	Any registered person."

2. This notification shall come into force with effect from the 10th day of October, 2024.

Note: -The principal notification number 13/2017 -State Tax (Rate), was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (15)/Fin(Rcv-I)/2017-18/DS-VI/379, dated 30th June, 2017, and was last amended vide notification number 14/2023-State Tax (Rate), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (08)/Fin(Exp-I)/2024-25/DS-I/714, dated 28th August, 2024.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,


(Ravinder Kumar)
Jt. Secretary (Fin.)

No. F.3 (02)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/ 344

Dated: 22/10/2025

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Secretary to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi.
3. The Secretary to Hon'ble Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.

4. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
5. S.O to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
7. The Additional Chief Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
8. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
9. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. The Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
- ✓ 11. Website.
12. Guard File.



(Ravinder Kumar)
Jt. Secretary (Fin.)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय-I) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

अधिसूचना संख्या- 09/2024-राज्य कर (दर)

दिनांक: ०२/०९/2025

सं.फा.3(02)/वित्त(व्यय-I)/2025-26/डीएस- I/ 344 :- दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, सरकार की अधिसूचना संख्या 13/2017- राज्य कर (दर), जिसे दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, खंड 3, उप-खंड (i) में सं.फा. 3(15)/वित्त (राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/379, दिनांक 30 जून, 2017 के द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात:-

1. उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 5कक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात कॉलम (2), (3) और (4) में, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"5कख	आवासीय आवास के अलावा किसी भी संपत्ति को किराये पर देने के माध्यम से सेवाएं।	कोई भी अपंजीकृत व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति।"

2. यह अधिसूचना 10 अक्टूबर, 2024 से लागू होगी।

नोट: - मूल अधिसूचना संख्या 13/2017-राज्य कर (दर), दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, खंड 3, उप-खंड (i) में सं.फा. 3(15)/वित्त (राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/379, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत प्रकाशित की गई थी, और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 14/2023-राज्य कर (दर), दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, खंड 3, उप-खंड (i) में सं.फा. 3(08)/वित्त (व्यय-I)/2024-25/डीएस-I/714, दिनांक 28 अगस्त, 2024 के तहत प्रकाशित की गई थी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर



(रविन्द्र कुमार)

संयुक्त सचिव (वित्त)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:

- 1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
- 2 माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 3 माननीय वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 4 नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
- 5 मुख्य सचिव के कर्मचारी अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 6 अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग - चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
- 7 अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 8 आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
- 9 अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 10 निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 11 वेब साईट।
- 12 गार्ड फाइल।



(रविन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव (वित्त)